उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 01-परीक्षा / 2018

सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि –**13.03.2018**

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि -**15.03.2018**

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि –**17.04.2018**

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – **19.04.2018**

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -**23.04.2018**

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ के विज्ञापन संख्या **01-परीक्षा/2018** के अंतर्गत महानिदेशक प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन **व्यायाम प्रशिक्षक,** के रिक्त कुल **42 पद** तथा **क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,**के रिक्त कुल **652** पदों पर जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष **सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018, लिखित परीक्षा** और **शारीरिक पात्रता परीक्षा** के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।उक्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें ।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली - भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें ।

आयोग की वैबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)
2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)
3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा। जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तो को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ़र्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.........) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.........) ट्रांजेक्सन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना

परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक (इमेज जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। । फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद **"व्यू एप्लीकेशन फार्म"** को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु **"सबमिट"** बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, **यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा।** इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3- एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4- <u>आवेदन शुल्क</u> – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	आवेदन)शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया योग (शुल्क
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	100.00	25.00	125.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	100.00	25.00	125.00
(3)	अनुसूचित जाति	40.00	25.00	65.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	40.00	25.00	65.00
(5)	विकलांगजन हेतु	------	25.00	25.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक -1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6- सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7- उपर्युक्त प्रस्तर-1 मे उल्लिखित रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

					पदों की संख्या					
पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल-5	01 जुलाई, 2018 को आयु न्यूनतम अधिकतम (वर्षों में)।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	पदों की प्रकृति
1	महनिदेशक प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उत्तर प्रदेश।	व्यायाम प्रशिक्षक	35,400-1,12,400/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	21-40	22	09	01	10	42	स्थायी
		क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	29,200-92300/- वेतन मैट्रिक्स लेवल-5		327	132	14	179	652	स्थायी
				कुल योग	349	141	15	189	**694**	

नोट- उपर्युक्त रिक्त सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

सारिणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
महनिदेशक प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उत्तर प्रदेश।	व्यायाम प्रशिक्षक	(i)- महिला (ii)-भूतपूर्व सैनिक (iii)-विकलांगजन(आंशिक बधिर-पी.डी.)	08 02 01
	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	(i)- महिला (ii)-भूतपूर्व सैनिक (iii)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित	130 32 13

नोट- 1- व्यायाम प्रशिक्षक का विकलांगजन हेतु आरक्षित पद केवल आंशिक बधिर-(पी.डी.) हेतु है । इस पद हेतु अन्य श्रेणी के विकलांग जन आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं ।

2- क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद शारीरिक पात्रता परीक्षा निर्धारित होने के कारण विकलांगजन हेतु चिन्हित नहीं है ।

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2018 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं और संबन्धित पद हेतु निर्धारित शारीरिक स्वस्थता के मापदण्डों के अंतर्गत आते हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी 1 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8- अनिवार्य अर्हता:- (क) उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों **(व्यायाम प्रशिक्षक)** की अनिवार्य अर्हता **(शैक्षिक)** व अधिमानी अर्हता निम्नवत है:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी.पी.एड/ बी.पी.एड अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता ।

<u>अधिमानी</u>

नेताजी सुभाष नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट,पटियाला, बैंगलोर , कलकत्ता , लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एज्युकेशन इंस्टीट्यूट , त्रिवेन्द्रम , ग्वालियर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित एन.आई.एस के समकक्ष सभी ऐसे संस्थान से सुसंगत शाखा में प्रशिक्षण(कोचिंग) में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम.पी.एड ।

<u>अनिवार्य अर्हता</u>:- (ख) उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों **(<u>क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी</u>)** की अनिवार्य अर्हता **(शैक्षिक)** व अधिमानी अर्हता निम्नवत है:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है।

<u>अधिमानी</u>

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.पी.एड /डी.पी.एड

(2) संगठन में ब्लाक कमांडर या हलका सरदार या दलपति के रूप में तीन वर्ष की सेवा ।

<u>अधिमानी अर्हताएँ :-</u> उपर्युक्त दोनों पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

09 - <u>आयु सीमा :-</u> (1)आयु गणना की निश्चायक तिथि **01 जुलाई 2018** है । अर्थात अभ्यर्थी ने पहली जुलाई **2018 (01-07-2018)** को **21** वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और **40** वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म **02 जुलाई 1978** से पूर्व तथा **01 जुलाई 1997** के बाद न हुआ हो। **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ** तथा शासनादेश दिनांक **28.11.1985** के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को **5** वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयु सीमा में **03** वर्ष की छूट **01 जुलाई 2018** को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से **03** वर्ष से अधिक न हो।

10- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर (कोटा बनने पर) नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन,नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी,2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

11- शारीरिक स्वस्थता- (1)- व्यायाम प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पदों हेतु किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो,जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में फंडामेंटल रूल -10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -2 भाग-2 के अध्याय-3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करें ।

(2)- व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदंड की अपेक्षा की जायेगी :-

(क)

पुरुष अभ्यर्थी

(व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु)

(1)

	ऊंचाई	सेमी. में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेमी.

(2)

	सीना	बिना फुलाये (सेमी.में)	फुलाने पर (सेमी.में)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	76.5 सेमी.	81.3 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.8 सेमी.	83.8 सेमी.

(ख)

महिला अभ्यर्थी

(व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु)

(1)

	ऊंचाई	सेमी. में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	147 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152 सेमी.

3- व्यायाम प्रशिक्षक पद के लिए शारीरिक पात्रता परीक्षा-

अभ्यर्थी से यथा विहित अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी --

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	मलखम्ब	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	आसन	25 अंक	
3.	मुगदर	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	पैरेलल –बार	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त पाँच मदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	होरिजेंटल बार	25 अंक	
3.	वालटिंग हार्स	25 अंक	
4.	पामेल्ड हार्स	25 अंक	
5.	फ्लोर एक्सरसाईज़	25 अंक	

महिला अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	मलखम्ब रोप	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 40 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	आसन	25 अंक	
3.	स्कीपिंग रोप	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	पैरमलल –बार	35 अंक	अभ्यर्थी को समस्त चार मदों में न्यूनतम 65 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	वालटिंग हार्स	30 अंक	
3.	बैलेंसिंग बीम	30 अंक	
4.	अनीवन बार्स	30 अंक	

4- क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद के लिए शारीरिक पात्रता परीक्षा-

अभ्यर्थी से यथा विहित अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी –

(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

क०सं०	मद का नाम	न्यूनतम मानक समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	200 मीटर दौड़	30 सेकेण्ड 28 सेकेण्ड 26 सेकेण्ड 24 सेकेण्ड	10 15 20 25	10

2.	लम्बी कूद	3.5 मीटर 4.00 मीटर 4.5 मीटर 5.00 मीटर	10 15 20 25	10
3.	ऊंची कूद	1.05 मीटर 1.20 मीटर 1.35 मीटर 1.50 मीटर	10 15 20 25	10
4.	गोला फेंक	6.00 मीटर 7.00 मीटर 8.00 मीटर 9.00 मीटर	10 15 20 25	10

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए

क०सं०	मद का नाम	न्यूनतम मानक समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	200 मीटर दौड़	34 सेकेण्ड 32 सेकेण्ड 30 सेकेण्ड 28 सेकेण्ड	10 15 20 25	10
2.	लम्बी कूद	3.00 मीटर 3.50 मीटर 4.00 मीटर 4.50 मीटर	10 15 20 25	10
3.	क्रिकेट बॉल थ्रो	12.00 मीटर 13.00 मीटर 13.5 मीटर 14.00 मीटर	10 15 20 25	10
4.	स्कीपिंग रोप (रस्सी कूदना) प्रति मिनट	55 बार 60 बार 65 बार 70 बार	10 15 20 25	10

टिप्पणी-(1) प्रस्तर-11 के 4 (क) व (ख) में अंकित समस्त चार मदों में न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे और यदि कोई अभ्यर्थी केवल तीन मदों में उपस्थित होता है और 45 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह भी सफल माना जाएगा/जायेगी।

(2)- असफल अभ्यर्थियों के स्थान पर नये अभ्यर्थी रख दिये जाएंगे।

(3)- शारीरिक पात्रता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी शासन के अनुमोदन से आयोग द्वारा विहित की जाय।

व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु विहित चयन का आधार - प्रश्नगत पदों पर चयन (क) लिखित परीक्षा (ख) शारीरिक पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

12-परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा के सम्बन्ध में पृथक से यथासमय सूचित किया जाएगा ।

13-वरीयता- अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आवेदित पदों के संबंध मे वरीयता देनी होगी। आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एवं शैक्षिक योग्यता को देखते हुए सूची तैयार करेगा और आयोग शारीरिक पात्रता के समय पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता व पद की शैक्षिक अर्हता का संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर यथा संभव पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यहाँ सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1)

पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे शारीरिक पात्रता परीक्षा के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी ।

(13) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं,उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008 दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(14) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं,ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे । महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

(15) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए ।

(16) चयनित महिलाओं, उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

15- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2- आयोग कार्यालय में आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। बाद में इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा ।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

4- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।

5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।

8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर **लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा**, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।

11- आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि,पिता / पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

12- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा ।

13- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, अथवा जो पद हेतु विहित न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

14- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

15- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

16-यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

17-ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19.04.2018 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 23.04.2018 है।

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree 'buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

Other Details of candidate

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a "Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "preview" button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website http://upsssc.gov.in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

I) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On**–line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ग्राम–.. तहसील ...., नगर–.. जिला–... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित).. पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).. के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी है

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप – 1

(किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनकी टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (जो संस्था हो उसका नाम लिखा जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्याल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तविश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–प्रत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

पद ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रंट आफ पब्लिक इन्सट्रशन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल ग्रेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव